[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि.(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं का संशोधन उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाए, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं० 73/2005 -सीमाशुल्क तारीख 22	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं.
	जुलाई, 2005 ।	143 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के
	[सा.का.नि. ४९८(अ) तारीख २२ जुलाई, २००५]	स्थान पर ''8529 90 30 या 8529 90 90'' प्रविष्टि रखी जाएगी।
2.	अधिसूचना सं0 101/2007 -सीमाशुल्क तारीख 11	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं.
	सितंबर, 2007 ।	1002 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के
		स्थान पर ''8529 90 30 या 8529 90 90''
	[सा.का.नि. 583(अ) तारीख 11 सितंबर, 2007]	प्रविष्टि रखी जाएगी।
3.	अधिसूचना सं० 46/2011-सीमाशुल्क तारीख 1 जून,	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं.
	2011	1404 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के
	THE 422/20 THE 4 TH 2014 I	स्थान पर ''8529 90 10 से 8529 90 30''
	[सा.का.नि. ४२३(अ) तारीख १ जून, २०११]	प्रविष्टि रखी जाएगी।
4.	अधिसूचना सं0 53/2011-सीमाशुल्क तारीख 1 जुलाई,	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं.
	2011	1445 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के
	[सा.का.नि. ४९९(अ) तारीख १ जुलाई, २०११]	स्थान पर ''8529 90 10 से 8529 90 30'' प्रविष्टि रखी जाएगी।

(गौरव सिंह) उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:

- 1. मूल अधिसूचना सं0 **73/2005**-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.िन. सं. 498(अ) तारीख 22 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 36/2019-सीमाशुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) सा.का.िन. सं. 964(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई ।
- 2. मूल अधिसूचना सं० **101/2007**-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितंबर, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 583(अ) तारीख 11 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं० 19/2017-सीमाशुल्क तारीख 16 मई, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) सा.का.नि. सं. 473(अ) तारीख 16 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई।
- 3. मूल अधिसूचना सं0 **46/2011**-सीमाशुल्क, तारीख 1 जून, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.िन. सं. 423(अ) तारीख 1 जून, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 41/2019-सीमाशुल्क तारीख 31 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.िन. सं. 976(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई।
- 4. मूल अधिसूचना सं0 **53/2011**-सीमाशुल्क तारीख 1 जुलाई, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 499(अ) तारीख 1 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 42/2019-सीमाशुल्क तारीख 31 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 977(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई।